

विद्युत पैकेज संख्या-10,11 व 12 दिनांक 18.02.2017



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ. (मुख्यालय)/अधी.अ.(वाणिज्य)/अ.अ.-II/2016-17/प्रे 4925 दि: 20-2-17

आदेश

विषय:- कृषि श्रेणी के बढ़ाई गई बिजली दरों को वापस लेने के संदर्भ में ।

विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.09.2016 के द्वारा विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई थी, जो कि 01 सितम्बर, 2016 के पश्चात् किये गये उपभोग पर लागू थी । तदनुसार 01 सितम्बर 2016 के पश्चात् के उपभोग पर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को नई दरों से विद्युत विपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया था । तदनुसार कृषि श्रेणी में निम्नलिखित विद्युत दरों के अनुसार विद्युत बिल जारी किये जा रहे थे -

कृषि श्रेणी	01 सितम्बर, 2016 से लागू पूर्व विद्युत दरें		
	नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर	राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान	उपभोक्ताओं द्वारा वहन विद्युत दर
मीटर श्रेणी	रु. 4.75 प्रति युनिट	रु. 3.60 प्रति युनिट	रु. 1.15 प्रति युनिट
फ्लैट रेट श्रेणी	रु. 635 प्रति एच.पी. प्रति माह	रु. 515 प्रति एच.पी. प्रति माह	रु. 120 प्रति एच.पी. प्रति माह

राज्य सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए पूर्व की दरों को ही यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है । उक्त निर्णय की पालना में सामान्य श्रेणी (ब्लॉक सप्लाई) के कृषकों को निम्नानुसार बिल जारी करने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं :

कृषि श्रेणी	01 सितम्बर, 2016 से लागू विद्युत दरें		
	नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर	राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान	उपभोक्ताओं द्वारा वहन विद्युत दर
मीटर श्रेणी	रु. 4.75 प्रति युनिट	रु. 3.85 प्रति युनिट	रु. 0.90 प्रति युनिट
फ्लैट रेट श्रेणी	रु. 635 प्रति एच.पी. प्रति माह	रु. 550 प्रति एच.पी. प्रति माह	रु. 85 प्रति एच.पी. प्रति माह

जिन कृषि उपभोक्ताओं ने 01 सितम्बर 2016 से अब तक बढ़ी हुई दरों से विद्युत बिल जमा करा दिये हैं, उनके द्वारा जमा कराई गई अतिरिक्त राशि का समायोजन आगामी बिलों में किया जायेगा। उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से
20/02/2017
(एन. एल. सालवी)

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (MM/T-CSS), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 2 सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर/झुंझू।
- 3 मुख्य लेखा अधिकारी (IA-W&M/ETB/A&R), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/जयपुर।
- 4 सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 5 अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम.....को अतिरिक्त..... प्रतिलिपियाँ अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
- 6 अधीक्षण अभियन्ता (एमएण्डपी/प्लान/एम.एम/आर.डी.पी.पी.सी.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर/जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.), अविविनिलि, अजमेर को अजमेर डिस्कॉम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
10. सहायक मुख्य सचिव, Administrative Reforms (Timers) Department, जयपुर को ईमेल आईडी : cmv@rajasthan.gov.in.
11. डॉ. के. एल. जैन, सचिव (Honorary), Raj. Chamber of Commerce & Industry, जयपुर।
12. सचिव जनरल उपभोक्ता यूनिटी एवं ट्रस्ट सोसाइटी, जयपुर।
13. मुख्य विद्युत (जनरल) अभियन्ता, O/o the G.M. (North), Jagatpura, जयपुर।
14. राजस्थान विद्युत विकास संस्थान, वैशाली नगर, जयपुर।
15. प्रावेधिक सहायक (सलाहकार), ऊर्जा विभाग, 223, योजना भवन, दक्षिण विंग, जयपुर को माननीय श्री आर. जी. गुप्ता. सलाहकार, ऊर्जा विभाग के अवलोकनार्थ।
16. प्रावेधिक सहायक, प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
17. अधिशाषी अभियन्ता, (), अजमेर डिस्कॉम.....
18. वरिष्ठ लेखाधिकारी, (), अजमेर डिस्कॉम.....
19. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
20. प्रभारी, विधि विभाग, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
21. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर।
22. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, जयपुर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/जोधपुर।
23. निजी सहायक, निर्देशक (वित्त/तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
24. निजी सहायक, विद्युत लोकपाल, राजस्थान सरकार, सहकार मार्ग, जयपुर।

20/02/2017
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर